झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2017

आवश्यक सूचना

मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी) एवं दलपती तथा जोगी (जुगी,गोसाई) की उप जाति गिरी–सन्यासी,अतित,अतिथ/अतीथ अभ्यर्थियों के लिए

इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के लिए ऑन–लाईन आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि दिनांक– 09.07.2017 तक विस्तारित की गयी है। मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी) एवं दलपती के संबंध में निम्नांकित विज्ञापन प्रकाशित किया गया था :–

2. राज्य सरकार द्वारा मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी) एवं दलपती जो 03 वर्षों की लगातार सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो तथा दिनांक– 13.01.2017 तक कार्यरत हों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु सभी वर्गों की अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी गयी है। तदनुसार निम्नांकित अधिकतम उम्र सीमा में छूट के साथ ऐसे मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी) एवं दलपती जिन्होने ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को लगातार 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सिर्फ पंचायत सचिव के पद के लिए ऑन–लाईन आवेदन दे सकते हैं:–

क्रमांक	श्रेणी	वर्तमान में निर्धारित उम्र सीमा	अधिकतम छूट के पश्चात उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 2)	37 वर्ष	42 वर्ष
3.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति	40 वर्ष	45 वर्ष
4.	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष

अधिकतम उम्र की गणणा की संदर्भ तिथि– 01.08.2016 होगी। ऑन–लाईन आवेदन देने के लिए लिंक उपलब्ध कराए जाने की सूचना बाद में प्रकाशित की जायेगी। इस बीच आवेदन के इच्छुक मनरेगा कर्मी एवं दलपती लगतार 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र निर्गम संख्या तथा दिनांक का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

3. उपर्युक्त कंडिका–2 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि तक 3 वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी)/दलपती को अधिकतम उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष तक कार्यरत रहने की स्थिति में लगातार सेवा अवधि के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्राप्त होगी। उदाहरण स्वरूप आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक यदि किसी मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी)/दलपती की लगातार सेवा अवधि तीन वर्ष छः माह बारह दिन होती है तो उन्हें उनकी कोटि (वर्ग) के अधिकतम उम्र सीमा में तीन वर्ष छः माह बारह दिन की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि किसी मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी)/दलपती की सेवा अवधि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को छः वर्ष चार महीने की है तो उन्हें उनकी कोटि (वर्ग) के अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम परिसीमा अर्थात पाँच वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी।

इस बीच आवेदन के इच्छुक मनरेगा कर्मी (रोजगार सेवक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी)/दलपती लगातार तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की सेवा पूर्ण करने एवं वर्तमान में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त कर लें।

विज्ञापन के शेष अंश यथावत रहेंगे।

ह0/–

परीक्षा नियंत्रक